न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलौदी, जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी, पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 53,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :— 183 / 18

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हाजरो पत्नि निजामदीन जाति मुसलमान 2. सखीनो पुत्री निजामदीन पत्नि खमेखां जाति मुसलमान निवासीगण — डुमाडेरी उर्फ खानपुरा जालोड़ा तहसील — लोहावट जिला जोधपुर (राजस्थान)		1. मेहरदीन पुत्र श्री बागेखां 2. इब्राहीम पुत्र श्री बागेखां 3. इमामदीन पुत्र श्री बागेखां 4. इस्माईल खां पुत्र श्री बागेखां 5. नबाब खां पुत्र श्री बागेखां सभी जाति मुसलमान निवासी डुमाडेरी उर्फ खानपुरा जालोड़ा तहसील लोहावट जिला जोधपुर (राजस्थान) 6. श्रीमान् तहसीलदार, फलौदी

राजस्व वाद 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
1. वादी अधिवक्ता श्री सिकंदर घोषी।
2. प्रतिवादी अधिवक्ता श्री जमालदीन ।

निर्णय **दिनांक :— 31 / 07 / 2019**

वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण पुश्तैनी पैतृक कब्जासुदा खातेदारी अधिकारो की काश्त भूमि खसरा 142 रकबा 00.06 बीघा व खसरा संख्या 143 रकबा 171 बीघा 11 बीस्वा ग्राम डूमाडेरी उर्फ खानपुरा पटवार हल्का जालोड़ा तहसील लोहावट में स्थित हैं। जिसमें वादीगण संख्या 1 से 2 व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 प्रत्येक का बराबर—बराबर 1/6 हिस्सा बंट में आता है। जिसमें 1/6 हिस्सा पर वादीगण कब्जा काश्त है। उक्त भूमि हमारी पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि हैं। उक्त काश्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 प्रत्येक को बराबर—बराबर 1/6—1/6 हिस्सा बंट में आता है और उसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है और उक्त हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य

सहायक कलक्टर एवं ... (फास्ट ट्रेक) फलौदी

Scanned by CamScanner

मौखिक बण्टवाड़ा होया हुआ है और उसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त काश्त भूमि के नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.स्थान पर वादीगण कब्जा काश्त भूमि के नजरी नक्शा में गहरे रंग से दर्शाया गया हैं जिस पर वादीगण की पक्की ढाणी व मकान पानी के टांके इत्यादी बने हुए है जिस भूमि पर वादीगण लगातार 12 ही मास अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है तथा वर्षा ऋतु में काश्त करता व अवैरता आ रहा है नजरी नक्शा में प्रतिवादीगण का भी कब्जा अनुसार हिस्सा दर्शाया गया हैं उसी अनुसार प्रतिवादीगण भी मौका पर काबीज है। वादी अपने बण्ट में आई भूमि सलंग्न नजरी नक्शा के मार्क ए.बी.सी.डी. पर लगातार वर्षा ऋतु में काश्त करता व अवैरता आ रहा है तथा प्राकृतिक फसल का उपयोग एवं उपभोग करता आ रहा है तथा उक्त कब्जा सुद भूमि पर रहवासी ढाणी में निवास करता आ रहा है। दिनांक 12.10.2016 को वादीगण ग्राम डुमाडेरी उर्फ खानपुरा स्थित खेत खसरा संख्या 142 रकबा 00.06 बीघा व खसरा संख्या 143 रकबा 171 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 17 बिस्वा में स्थित अपने 1/6 हिस्सा नजरी नक्शा में अंकित अनुसार कब्जा व बण्ट की भूमि पर फसल अवैर रहा था। उस समय प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि उक्त भूमि हम आगे विक्रय कर देंगे तथा तुम्हे बेदखल कर देंगे जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है क्योंकि उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा हैं ।

उक्त काश्त भूमि का राजस्व रिकोर्ड में बंटवाड़ा नही हो रखा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का अब शामिल काश्त करना सम्भव नही है इसलिए वादीगण अपने हिस्सा कब्जा व बंट की भूमि का विधिवत बण्टवाड़ा करवाकर राजस्व रिकोर्ड में अलग से दर्ज करवाने का विधिक अधिकारी हैं। बिना बण्टवाड़ा किये काश्त भूमि का कब्जा किसी अन्य सख्स को हस्तांतरण नही किया जा सकता है और यदि बिना मौके पर कब्जा प्राप्त किये मात्र कागजी बैचान किया जाता है तो विधि की दृष्टि से शुन्य व प्रभावहीन है इसलिए वादीगण दावेदार हैं कि वादीगण के कब्जा व हिस्सा अनुसार नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए.बी.सी.डी. ख.सं. 142 रकबा 0.06 बीघा व ख.स. 143 रकबा 171 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 17 बिस्वा मार्क ए.बी.सी.डी. भूमि को अलग से राजस्व रिकोर्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावें एवं नजरी नक्शा में अंकित अनुसार दर्शित अुनसार राजस्व रिकोर्ड व नक्शा में अलग तरमीम वादीगण के हिस्से की जावें।

कि 04.06.2018 को ग्राम डुमाडेरी उर्फ खानपुरा पटवार हल्का जालोड़ा तहसील लोहावट के खेत खसरा न. 142 रकबा 0.06 बीघा भूमि व खेत खसरा न. 143 रकबा 171 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 17 बिस्वा भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण

Scanned by CamScanner

संख्या 1 ता 5 के मध्य उक्त भूमि का इनके मध्य विभाजन होया हुआ नहीं होने से बाई मिट्स एंड बाउण्डस् में विभाजन कि प्राथमिक डिक्री जारी कि गयी एवं तहसीलदार लोहावट को विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में विभाजन में दो प्रतियों में अलग अलग कलर दर्शाते हुए पेश करने का आदेश जारी किया गया। तहसीलदार लोहावट द्वारा माफिक आदेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश होने पर शामिल मिसल किया गया। आदेशिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि तामिलशुदा नोटिस प्राप्त नही होने के अभाव में प्राथमिक डिक्री के आधार पर अन्तिम डिक्री नही किया जा सकता है। अतः अन्तिम डिक्री किये जाने से पूर्व न्यायहित में प्रतिवादीगण को सुना जाना आवश्यक है। अतः वास्ते तामिल प्रतिवादीगण को पुनः सम्मन जारी किए गए। पेशी दिनांक 19.02.2019 को वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण को भेजे सम्मन की डाक रसीदे पेश की व प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता जमालदीन ने वकालतनामा पेश किया। वास्ते जवाबदावा प्रतिवादीगण के पर्याप्त अवसर दिए गए लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश नही करने पर पेशी दिनांक 26.07.2019 को न्यायालय समय के दौरान बार बार रूक रूक कर प्रतिवादी अधिवक्ता को आवाजे लगवाई गई लेकिन प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही होने पर प्रतिवादीगण के जवाब बंद किए जाकर पत्रावली को वास्ते बहस रखा गया।

विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस में बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 ग्राम डुमाडेरी उर्फ खानपुरा पटवार हल्का जालोड़ा तहसील लोहावट के खेत खसरा न. 142 रकबा 0.06 बीघा भूमि व खेत खसरा न. 143 रकबा 171 बीघा कुल रकबा 171 बीघा 17 बिस्वा भूमि का मौजा ग्राम जालोड़ा के बंटवाड़ें हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कि जिसकी पालना में तहसीलदार लोहावट मय पटवारी द्वारा मौके पर जाकर मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़े का प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया इसी अनुसार हमारा हक हिस्सा है तथा मौके पर कब्जा काश्त है अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया कि बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार वाद अंतिम डिक्री फरमाया जावे

हमने पत्रावली, दस्तावेजात व बंटवाड़ा प्रस्ताव का अवलोकन किया व अधिवक्ता कि बहस पर मनन किया न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.06.2018 को बंटवाड़े का यह वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कि गई इसी अनुसार तहसीलदार लोहावट द्वारा मौका व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य होने से वाद वादी का स्वीकार किया जाता है

सहाय... (फास्ट ट्रैक) फलोदी

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाकर ग्राम डुमाडेरी उर्फ खानपुरा पटवार क्षेत्र जालोड़ा तहसील लोहावट के खेत खसरा न. 142 रकबा 0.06 बीघा भूमि व खेत खसरा न. 143 रकबा 171 बीघा 11 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बंटवाड़ा निम्न प्रकार से खातेदारों के मध्य किया जाता है :–

क्र.स.	नाम खातेदार	ख.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	वादीगण 01 व 02 हाजरो पत्नि निजामदीन सखीनो पुत्री निजामदीन जाति सिन्धी मुसलमान सा.देह खातेदार	143/1	28.13	बा–II	1.85
2.	प्रतिवादीगण सं. 01 से 05 मेहरदीन, इब्राहीम, इमानदीन, ईस्माईल, नवाब पिता बागेखां जाति सिपाही सा.देह खातेदार रहन – आर.एम.जी.बी. शाखा लोर्डिया में इब्राहीम, इमामदीन, नवाब का हिस्सा	142 143	0.06 142.18 143.04	बा–II बा–II	16.06 9.24

तहसीलदार लोहावट इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेंगा। इसी माफिक अंतिम डिक्री पर्चा मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/07/17 को सरे इजलास में सुनाया गया।

पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), फलौदी

Scanned by CamScanner